...ना की तिथि.......31-8-26
...यार करने की तिथि.....31-8-26
...यार करने वाले ...

न्यायालय एफ.टी.सी./अपर सत्र न्यायाधीश/स्पेशल जज पॉक्सो, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

पीठासीन अधिकारी– सविता चमोली, एच0जे0एस0

विशेष सत्र परीक्षण सं0 60/2023
CNR:UKNA05-0008632-2026

एफ.आई.आर. संख्या– 102/2023
धारा–363,366,376(2)(ढ),506 भारतीय दण्ड संहिता एवं **धारा** 5ठ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं
धारा– 3(1)5(1)उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम
थाना– काठगोदाम, जिला–नैनीताल।

शिकायतकर्ता	उत्तराखण्ड राज्य
विद्वान विशेष लोक अभियाजक	श्री गोकुल चन्द्र पनेरू
अभियुक्त	सैफ खान पुत्र सरताज खान, निवासी–ठोकर लाईनपार, कॉलटैक्स, थाना कादगोदाम, जिला नैनीताल।
अभियुक्त की ओर से	विद्वान अधिवक्ता श्री रविन्द्र सिंह एवं श्री लोकेश राज चौधरी

अपराध का दिनांक	08.07.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	09.07.2023
आरोप पत्र दाखिल करने का दिनांक	29.08.2023
आरोप विरचित करने का दिनांक	08.12.2023
साक्ष्य प्रारम्भ करने का दिनांक	06.02.2024
निर्णय सुरक्षित रखने का दिनांक	20.08.2026
निर्णय का दिनांक	25.08.2026
सजा सुनाये जाने का दिनांक	–

अभियुक्त का विवरण

कम सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहा होने का दिनांक	आरोपित अपराध	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	सजा की अवधि	जेल में बितायी गयी अवधि
1	सैफ खान	10.07.2023	25.06.2024	धारा 363,366, 376(2)(ढ),506 भा0दं0स0 एवं धारा 5ठ/6 पॉक्सो एक्ट एवं धारा3(1)5(1) धर्म स्वतंत्रता अधिनियम	दोषमुक्ति	–	दिनांक 11.07.2023 से 25.06.2024

Copying Deptt. HALDWANI (Nainital) District & Session Judge

पीडब्लू0–10 द्वारा यद्यपि उनके बयानों की मुख्य परीक्षा में अभियुक्त द्वारा पीडिता को मुस्लिम धर्म अपनाने को कहने व उससे निकाह करना चाहने बावत् बयान दिया गया है, किन्तु उक्त साक्षीगण के मुख्य परीक्षा में दिये गये उक्त बयान विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उक्त साक्षीगण द्वारा उनके बयानों में कही भी यह कथन नहीं किया गया है कि उनके सामने अभियुक्त द्वारा पीडिता को धर्म परिवर्तन की धमकी दी गई और न ही उनके सामने धर्म परिवर्तन हेतु कहीं ले जाया गया और उक्त तथ्य को स्वीकार करते हुए पीडिता के भाई पी0डब्लू0–3 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया गया है कि **"धर्म परिवर्तन करने के सम्बन्ध में अभियुक्त पीडिता को किसी मस्जिद या मदरसे में ले गया हो तो इस बारे में पीडिता ही जानती है। मेरे सामने अभियुक्त पीडिता को धर्म परिवर्तन के लिए नहीं ले गया था।"** यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि उक्त साक्षियों के बयान पीडिता पी0डब्लू0–1 के न्यायालय में दिये गये बयानों के आलोक में और भी निरर्थक व अविश्वसनीय हो जाते हैं क्योंकि पीड़िता पी0डब्लू0–1 द्वारा उसकी मुख्य परीक्षा में ही उसे अभियुक्त द्वारा धर्म परिवर्तित कर मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी दिये जाने का कोई कथन किया गया है।

67. अतएव इस मामले में अभियुक्त द्वारा पीडिता को जबरदस्ती निकाह करने हेतु धर्म परिवर्तन कर उसे मुस्लिम धर्म अपनाने की धमकी देने का तथ्य भी साबित नहीं होता है। परिणामतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 3(1)5(1)उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम का आरोप भी संदेह से परे साबित नहीं है।

68. उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आलोक में इस न्यायालय के मत में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगे आरोप अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(2)(ढ), 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा– 5ठ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा धारा 3(1)5(1)उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। परिणामतः अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दोषमुक्त किये जाने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

69. **विशेष सत्र परीक्षण संख्या–60/2023 में,** अभियुक्त सैफ खान को उसके विरूद्ध आरोपित दण्डनीय अपराध अन्तर्गत धारा–363, 366, 376(2)(ढ), 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा– 5ठ/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा धारा 3(1)5(1)उत्तराखण्ड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम से दोषमुक्त किया जाता है।

Copy Deptt. HALDWANI (Nainital) District & Session Judge

ADJ/ FTC/Special Judge(POCSO),
Haldwani,Nainital.

70. उक्त विशेष सत्र परीक्षण में अभियुक्त जमानत पर हैं। अभियुक्त के जमानत पत्र एवं बंधपत्र निरस्त कर जमानतियों को जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

71. अभियुक्त द्वारा धारा 437–ए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अनुपालन में बंधपत्र व प्रतिभू निष्पादित किए जा चुके हैं, जो उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रदत्त विहित समय तक प्रभावी रहेंगें।

72. माल मुकदमाती, यदि कोई हो तो अपील अवधि की समाप्ति पर तथा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जाये।

दिनांक–25.08.2026

(सविता चमोली)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी., हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक– 25.08.2026

(सविता चमोली)
विशेष न्यायाधीश पोक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ.टी.सी., हल्द्वानी, जिला नैनीताल।

Central Copying Deptt. HALDWANI (Nainital) Addl. District & Session Judge

True Copy
31-8-26
Head Copyist
Central Copying Deptt.
Addl. Distt. & Session Judg
HALDWANI (Nainital)

Copied by.......
Compared by.......
No. of Words.......